संख्या– 157 /VI–I/2007–100(सं0)/2003

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून:दिनांक: 26 मार्च, 2007

विषय: शहीद स्मारक चनोदा(अल्मोड़) के निर्माण एवं श्री गांधी आश्रम चनोदा (अल्मोड़ा) के सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–2218/सं0नि0उ0/चार–2/2006–07, दिनांक 01 मार्च, 2007 एवं शासनादेश संख्या–78/संवि/2004–100(सं0)/2003 दिनांक 23 मार्च, 2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहीद स्मारक चनोदा(अल्मोड़) के निर्माण हेतु रूपये 13.13 लाख (रूपये तेरह लाख तेरह हजार मात्र) एवं श्री गांधी आश्रम चनोदा (अल्मोड़ा) के सुदृढ़ीकरण हेतु 7.71 लाख (रूपये सात लाख एकहतर हजार मात्र) अर्थात कुल रूपये 20.84 लाख (रूपये बीस लाख चौरासी हजार मात्र) की अवशेष धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं सामग्री कय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी हो, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा हो। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों मे निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

10- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति-पूंजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-00-106 -संग्रहालय-04-महान विभूतियों की मूर्तियों/शहीद स्मारक का निर्माण-24-वृहत्त निर्माण मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-~~1113~~ 1553/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/2006, दिनांक 22 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या-/ 775 / VI-I/2007-100(सं0)/2003 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
7- एन0आई0सी0, देहरादून सचिवालय।
8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव